भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 378

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

मध्य प्रदेश में बंद पड़ी कोयला खदान

378. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में प्रचालनशील और बंद पड़ी कोयला खदानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खानों से उत्पादित किए जा रहे कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने और पुनर्वास योजनाएं तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : मध्य प्रदेश में 59 प्रचालनरत ब्लॉकों/खानों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 3 बंद खानों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

1. पाथाखेड़ा - I यूजी
2. पाथाखेरा - II यूजी
3. सतपुड़ा - II यूजी

(ख) : मध्य प्रदेश में पिछले 03 वर्षों के दौरान कच्चे कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है

(मात्रा मि.ट. में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
मध्य प्रदेश	137.974	146.029	159.228

(ग) और (घ) : सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) नई खान खोलने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम एवं नियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद में किए गए संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त की जाती है। पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन करते हुए खानों का प्रचालन किया जाता है जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित होती है।

(ii) वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980) के अनुपालन में वन भूमि से संबंधित परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व वानिकी मंजूरी भी प्राप्त की जाती है।

(iii) विस्तार परियोजनाओं (उत्पादन क्षमता और/अथवा भूमि क्षेत्र में वृद्धि हेतु) के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम, 1986, ईआईए अधिसूचना, 2006 और बाद के संशोधनों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जाती है।

(iv) पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त होने के बाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) और प्रचालन के लिए सहमति (सीटीओ) भी प्राप्त की जाती है।

(v) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों के लिए छमाही पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(vi) ईसी/सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन में परिवेशी वायु गुणवत्ता, बहिस्राव गुणवत्ता, ध्वनि स्तर की निगरानी और भूजल (दोनों स्तरों और गुणवत्ता) के संबंध में नियमित पर्यावरणीय निगरानी की जांच की जाती है और रिपोर्टें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vii) संविधि के अनुपालन में, प्रत्येक प्रचालनरत खान के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष का वार्षिक पर्यावरणीय (लेखा परीक्षा) विवरण संबंधित एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को अथवा इससे पहले प्रस्तुत किया जाता है।

(viii) पर्यावरणीय स्वीकृति और सहमति शर्तों के अनुपालन में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संधारणीयता उपाय किए जाते हैं जिनका नियमित रूप से संवर्धन/सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

(ix) खान बंद करने संबंधी योजना कोयला खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। लक्ष्य अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य को स्थायी रूप से प्राप्त करना और खान के अंतिम बंद होने के बाद भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि उपयोग को सुनिश्चित करना है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खान को बंद करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अनुमोदित खान बंद करने की योजनाओं के अनुसार खानें प्रचालन कर रही हैं। खान बंद करने संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार खानों को वैज्ञानिक रूप से बंद कर दिया गया है। यह बंद प्रक्रिया पर्यावरणीय संधारणीयता और सांविधिक विनियमों के अनुपालन दोनों को सुनिश्चित करती है। खान बंद करने के दिशा-निर्देशों में निर्धारित जैविक पुनरूद्धार, हरित पट्टी, वायु और जल का विकास और अन्य पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंधन आदि खान की प्रचालन अवधि के दौरान और साथ ही खान के बंद होने के बाद की अवधि के दौरान किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार समापन कार्यकलापों के अनुपालन की जांच पैनलबद्ध तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा की जाती है और आवधिक अंतरालों पर सीसीओ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है।

(x) सफल बोलीदाता और नामित प्राधिकारी के बीच निष्पादित वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार के खंड 11.5 में अधिदेश दिया गया है कि सफल बोलीदाता आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी का कार्यान्वयन करेगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता कोयला खान में प्रचालनों से कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और अच्छे उद्योग पद्धति के अनुसार संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।

इसके अलावा, पुनर्वास योजनाएं कोयला कंपनियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करने संबंधी) आदेश 2015 के प्रख्यापन के संदर्भ में, रोजगार सहित मुआवजा और आर एंड आर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II & III के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए इसके लिए राज्य आर एंड आर नीति को भी ध्यान में रखा जाता है।

****

अनुबंध-I

(i) 01.04.2024 तक मध्य प्रदेश में सीआईएल की कार्यशील खानों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**खान का नाम**	**सहायक कंपनी**
1	झिंगुरदा	एनसीएल
2	जयंत	
3	अमलोहरी	
4	निगाही	
5	ब्लॉक - बी	
6	दुधीचुआ	
7	बीना	
8	खाडिया	
9	छतरपुर- i	डब्ल्यूसीएल
10	छतरपुर- ii	
11	सारणी	
12	तवा-i	
13	तवा- ii	
14	न्यू सेठिया	
15	उर्धन	
16	छिंदा	
17	नेहरिया	
18	मथानी	
19	अमलगमेटेड धनकसा जमुनिया	
20	विष्णुपुरी- ii	
21	महादेवपुरी	
22	तांडसी	
23	शारदा	
24	मोहन (मोहन/मौरी यूजी और मोहन ओसी)	
25	राजनगर आर.ओ.	
26	झिरिया	
27	बिजुरी	
28	बेहेराबंद	
29	कुर्जा/शीतलधारा	
30	राजनगर	
31	अमदंड	

32	जमुना 9 और 10	एसईसीएल
33	मीरा	
34	बरतराई	
35	भद्रा 7/8	
36	पाली	
37	नोवोसाबाद (पश्चिम)	
38	उमरिया	
39	पिपरिया	
40	विंध्य	
41	कंचन	
42	राजेन्द्र	
43	बंगवार	
44	दामिनी	
45	खैरा	
46	शारदा हाईवॉल	
47	अमलाई	
48	रामपुर बतूरा	

(ii) मध्य प्रदेश में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में 11 प्रचालनरत कोयला खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

क्र.सं.	**कोयला खदान का नाम**	**आवंटी**
1	अमेलिया उत्तर	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड
2-3	मोहर और मोहर अमलोहड़ी	सासन पावर
4	बिचारपुर	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड
5	सियाल घोघरी	आरसीसीपीएल
6	सुलियारी	एपीएमडीसीएल
7	अमेलिया	टीएचडीसी
8	उर्तन	जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	उर्तन उत्तर	जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
10-11	गोटिटोरिया (पूर्व) और गोटिटोरिया (पश्चिम)	बोल्डर स्टोन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड

****